बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- nagarnigambikaner@gmail.com,Website :- bikanermc.org

क्रमांक/इन्दिरा रसोई योजना/2022–23/ 12137-43 **दिनांक 17/06/2022**

ई–निविदा सूचना संख्या 03/2022–23

नगर निगम बीकानेर के द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा के अन्तर्गत बीकानेर जिले में प्रस्तावित 26 नवीन इन्दिरा रसोईयों के क्रियान्वयन हेतु कम्पयूटर, वेब कैमरा, प्रिन्टर आदि सामग्री आपूर्ति का कार्य करने के लिए पंजीकृत/प्रधिकृत फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदा प्रक्रिया से आनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म एवम निविदा की सम्पूर्ण विवरण/शर्ते ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, से download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क जमा करवाने के पश्चात निविदा का ई–प्रोक्यूटमेन्ट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि	अनुमानित राशि 2 प्रतिशत	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य अवधि
1.	26 नवीन इन्दिरा रसोईयों हेतु कम्पयूटर, वेब कैमरा, प्रिन्टर सामग्री सप्लाई करने का कार्य	10,40,000	20,800	1,000	500	10 दिवस

UBN

- आनलाईन निविदा डाउनलोड करने की दिनांक व समय 17.06.2022 को 5.00 pm से
- आनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय 27.06.2022, 6.00 pm तक
- तकनिकि निविदा खोलने की दिनांक व समय 28.06.2022, 2:00 pm

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक :– इन्दिरा रसोई योजना/2022–23 12137-43 दिनांक 17/06/2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महापौर महोदया नगर निगम बीकानेर।
2. श्रीमान् निदेशक स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानिय निकाय विभाग, बीकानेर।
5. श्रीमान् निदेशक सूचना एव जनसम्पर्क विभाग/राजस्थान संवाद जयपुर को भेजकर लेख है की अतिशीघ्र आगामी दिनांक को R.T.P.P. Rule 2013 प्रावधानानुसार उक्त ई–निविदा को न्यूनतम स्पेश में प्रकाशित करने का श्रम करें।

- पचास हजार और उससे अधिक प्रतियो के परिचालन वाले एव राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार।
- एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।

6. ओसवाल डाटा प्रोसेसर को भेकर लेख है की उक्त ई निविदा को www.sppraj.nic.in, www.bikanermc.org एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
7. सूचना पट्ट नगर निगम बीकानेर।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- nagarnigambikaner@gmail.com,Website :- bikanermc.org

क्रमांक/इन्दिरा रसोई योजना/2022–23/12137–43 दिनांक 17/06/2022

ई–निविदा सूचना संख्या 03/2022–23

नगर निगम बीकानेर के द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा के अन्तर्गत बीकानेर जिले में प्रस्तावित 26 नवीन इन्दिरा रसोईयों के क्रियान्वयन हेतु कम्पयूटर, वेब कैमरा, प्रिन्टर सामग्री आपूर्ति का कार्य करने के लिए पंजीकृत/प्रधिकृत फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदा प्रक्रिया से आनलाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म एवम निविदा की सम्पूर्ण विवरण/शर्ते ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, से download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क जमा करवाने के पश्चात निविदा का ई–प्रोक्यूटमेन्ट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि	अनुमानित राशि 2 प्रतिशत	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य अवधि
1.	26 नवीन इन्दिरा रसोईयों हेतु कम्पयूटर, वेब कैमरा, प्रिन्टर सामग्री सप्लाई करने का कार्य	10,40,000	20,800	1,000	500	10 दिवस

UBN

- आनलाईन निविदा डाउनलोड करने की दिनांक व समय 17.06.2022 को 5.00 pm से
- आनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय 27.06.2022 6.00 pm तक
- तकनिकि निविदा खोलने की दिनांक व समय 28.06.2022 2:00 pm

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- nagarnigambikaner@gmail.com,Website :- bikanermc.org

क्रमांक/इन्दिरा रसोई योजना/2022–23/ 12137–43 दिनांक 17/06/2022

निविदा प्रपत्र

– नगर निगम बीकानेर की ओर से राज्य सरकार की बजट घोषणा के अन्तर्गत बीकानेर जिले में प्रस्तावित 26 नवीन इन्दिरा रसोईयों के क्रियान्वयन हेतु कम्पयूटर, वेब कैमरा, प्रिन्टर आदि सामग्री आपूर्ति का कार्य करने हेतु पंजीकृत/प्राधिकृत फर्मों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदा प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाओं का आमंत्रण किया जाता हैं।

– **कार्य** :– बीकानेर जिले में प्रस्तावित 26 नवीन इन्दिरा रसोईयों हेतु कम्पयूटर, वेब कैमरा, प्रिन्टर आदि सामग्री सप्लाई का कार्य

– **अनुमानित लागत** राशि रु 10,40,000/–

– **अमानत राशि** अनुमानित लागत राशि की 2 प्रतिशत रु 20,800/–

– **निविदा शुल्क** राशि रु 1000 जो की अवापसीय है।

– **प्रोसेसिंग शुल्क** राशि रु 500 जो की अवापसीय है।

– **निविदा प्रस्ताव डाउनलोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय 17.06.2022 को 5.00 pm से**

– **निविदा प्रस्ताव अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय 27.06.2022 को 6.00 pm तक**

– निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवम अमानत राशि/Bidsecurity जो की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत है का ऑनलाईन भुगतान नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर pay online (Tender Option) पर निविदा प्रस्ताव अपलोड करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

– निविदा प्रपत्र शुल्क निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवम अमानत राशि जमा की रसीद तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

– जिन फर्मो की निविदा प्रपत्र शुल्क, निविदा प्रक्रिया शुल्क एवम अमानत राशि जमा होगी उन्ही फर्मों की तकनिकी Bid खोली जावेगी।

– निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविददाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवम नियम 2013 की शर्ते लागू होगी।

– **इस निविदा प्रपत्र के साथ निम्न परिशिष्ट सलंग्न है।**

1. **तकनिकी बोली प्रपत्र**
2. **वितीय बोली प्रपत्र**
3. **निविदा की सामान्य शर्ते**
4. **एस.आर. फार्म–II**
5. **Annexure A,B,C,D**

– R.T.P.P. अधिनियम 2012 एवम् R.T.P.P. Rule 2013 के अनुक्रम में शासन स्तर से जारी संशोधित परिपत्र इस निविदा के भाग माने जायेंगे।

– निविदा प्रपत्र के साथ संवेदक द्वारा पंजीयन की प्रति, GST नम्बर की छापा प्रति, एवम पेन कार्ड की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

तकनिकी निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम – इन्दिरा रसोई योजना हेतु कम्प्यूटर, वेब कैमेरा, प्रिन्टर आदि सामग्री आपुर्ति का कार्य

– निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पता ....

....

क्रं. सं.	विवरण	सलंग्न हाँ / नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	बैंक खाते अथवा कैंसिल चैक की सत्यापित प्रति।		
2.	जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण – पत्र की प्रति।		
3.	आयकर प्रमाण पत्र :– कर निर्धारण वर्ष 2018–19, 2019–20 व 2020–21 की C.A. की प्रमाणित प्रति।		
4.	संवेदक द्वारा Tender Fees, अमानत राशि, प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईने जमा की प्रति।		
5.	पेन कार्ड की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य।		
6.	फर्म / संवेदक को सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं होने के क्रम में 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पर शपथ पत्र।		
7.	नगर निगम बीकानेर के महापौर, उपमहापौर, किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने के क्रम में 50 रूपयें कें नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र।		
8.	S.R. 11 निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा प्रारूप सलंग्न।		
9.	हस्ताक्षरित Annexure A,B,C,D		

नोट :– **उपरोक्तानुसार उक्त निर्धारित समस्त तकनिकी योग्यता / दस्तावेजों की पुर्ति करने पर ही सफल तकनिकी निविदादाता की ही वित्तिय निविदा खोली जाएगी।**

हस्ताक्षर संवेदक

नाम ....

पिता का नाम ....

पूर्ण पत्ता ....

....

मोबाईल नं. ....

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

वित्तिय निविदा प्रपत्र

इन्दिरा रसोई योजना अन्तर्गत नगर निगम बीकानेर द्वारा रसोई में उपलब्ध करवाये जाने वाले कम्प्यूटर, वेब कैमेरा, प्रिन्टर सामग्री आपुर्ति का कार्य।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं स्थाई पता :- ....
....
....
2. अनुमानित व्यय राशि 10,40,000/-
3. निविदा शुल्क की राशि 1,000/-
   - जमा का विवरण
4. प्रतिभूति राशि 20,800/-
5. पैन नं. ....
6. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
7.

क्र. सं.	सामग्री का नाम	विवरण कम्प्यूटर, वैब कैमरा, प्रिन्टर सामग्री	सामग्री जो सप्लाई की जानी है की अनुमानित संख्या	मेक/कम्पनी का नाम	दर प्रति नग (सभी करों सहित)	
					अंको में	शब्दों में
1.	कम्प्यूटर	Processor-i3or/Ryzen5, Hard disk - 1 TB, Ram-4GB, Windows-MS W indows 10 (64 Bit), Monitor- 18.5 inch LED, With Wired keyboard & Mouse (Optical)	26			
2.	प्रिन्टर	USB Tharmal Receipt Printer	26			
3.	वेब कैमरा	Auto Foccus 1280x720P Web Camera with Microphone for Video Calling Conferencing – offline UPS 700 VA	26			
4.	UPS	600 VA	26			
5.	SSD	512 GB	26			
			योग	कुल राशि रूपयों में		

नोट :- 1. सामग्री जिसकी सप्लाई ली जानी है उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

2. उपरोक्त दरें सभी कर मय जीएसटी सहित एवं एफ.ओ.आर. बीकानेर जिले के 26 स्थान होंगे। एफ.ओ.आर की प्रति उक्त प्रपत्र के साथ सलंग्न है।
3. सामान सप्लाई से पुर्व सेम्पल जाँच नगर निगम बीकानेर से करवानी होगी सभी सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं ब्राण्डेड होनी चाहिए।
4. सामग्री सप्लाई का आदेश प्राप्त होते ही 2.5 प्रतिशत परफोमेन्स (चमतवितउंदबम) गारण्टी अनुबंध पत्र के साथ सामग्री की आपुर्ति आदेश में उल्लेखित अवधि में निश्चित रूप से करनी होगी।
5. कोई अग्रीम राशि देय नहीं होगी।
6. उक्त वर्णित सामग्री की सूची अनुमानित है जिसमें संबंधित इन्दिरा रसोई की आवश्यकता के आधार पर ही आपुर्ति आदेश प्रदान किया जाएगा। तथा उक्त वर्णित सामग्री एवं संख्या में कमी व वृद्धि की जा सकती है न्यूनतम सामग्री की आपुर्ति/क्रय आदेश की किसी प्रकार की गारण्टी प्रदान नही की जाती है इस सम्बंध में किसी भी प्रकार कि क्षति/हानि के लिए यह कार्यालय/निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

7. उक्त निविदा में न्यूनतम निविदादाता का चयन उक्त वर्णित समस्त/सामूहिक सामग्री (बिन्दू संख्या 1 से 5 तक) के कुल योग के आधार पर किया जाएगा। एवं एकल सामग्री की राशि यह कार्यालय अपनी सुविधा/इन्दिरा रसोई के पृथक – पृथक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करेगा। अतः कुल योग के आधार पर न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जाएगा।

8. यह निविदा कुल 26 इन्दिरा रसोईयों के लिए सामग्री की आपुर्ति के लिए है जिसमें संबंधित इन्दिरा रसोई में सामग्री की आवश्यकता के लिए पृथक – पृथक आपुर्ति/क्रय आदेश जारी किए जा सकते है तथा सामग्री की सूची भी भिन्न – भिन्न हो सकती हैं।

9. उक्त वर्णित दर में संबंधित इन्दिरा रसोई सलंग्स सूची के अनुसार एफ.ओ.आर एवं समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

निविदादात के हस्ताक्षर
मय सील

नाम.....................................

पता.....................................

एस आर 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने /हमने इन्दिरा रसोई योजना हेतु कम्पयूटर, प्रिन्टर, वेब कैमरा सामग्री आपुर्ति का कार्य करवाने कि निविदा दी हैं।

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा का जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

निविदादाता का नाम..
पूर्ण पता..
....
टेलीफोन न. (निवास)
(कार्यालय)

बीकानेर जिले की 26 नवीन इन्दिरा रसोईयों के स्थान की सूची

एफ.ओ.आर

क्र.सं.	रसोईयों का स्थान
1.	करमीसर फांटे के पास मनीरामजी के कांटे के पास, बीकानेर
2.	मुक्ताप्रसाद सेक्टर नं. 17, बीकानेर
3.	पशु चिकित्सालय के अंदर हॉल में, बीकानेर
4.	खादी मंन्दिर हॉल रानी बाजार, बीकानेर
5.	नागणेची मंन्दिर के पास सामुदायिक भवन टीन शेड, बीकानेर
6.	नथुसर गेट के पास वाल्मीकी बसती सामुदायिक भवन, बीकानेर
7.	शिवबाडी मंन्दिर के सामने मोनिका वाटर सप्लायर्स, बीकानेर
8.	कचहरी परिसर नगर निगम पम्पिग स्टेशन के अंदर, बीकानेर
9.	करणी इण्ड. पुलिस चौकी के सामने, बीकानेर
10.	नायको का मौहल्ला सामुदायिक भवन भीनासर, बीकानेर
11.	लालगढ रेलवे स्टेशन के सामने, बीकानेर
12.	ऊन मंण्डी पुगल रोड़, बीकानेर
13.	नोखा रोड़ बस स्टेण्ड गंगाशहर, बीकानेर
14.	पी.बी.एम. हॉस्पीटल बच्चा वार्ड से आपातकालीन के बीच में, बीकानेर
15.	पॉलिटेक्निक कॉलेज के अन्दर, व्यास कॉलोनी, बीकानेर
16.	रामदेवजी के मंन्दिर के पास सामुदायिक भवन सुजानदेसर, बीकानेर
17.	उस्तो की बारी, बीकानेर
18.	हल्दीराम प्याऊ जयपुर रोड़, बीकानेर
19.	बीकाजी फैक्ट्री के सामने ख्वाजा कॉलोनी, करणी इण्ड., बीकानेर
20.	नई लाईन गंगाशहर के बोथरा चोक पुराना बस स्टेण्ड के पास, बीकानेर
21.	सामुदायिक भवन वार्ड न.24, श्रीडूंगरगढ
22.	एन.एच. 11 घूमचक्कर के पास किराये का परिसर, श्रीडूंगरगढ
23.	नवलिगेट बस स्टेण्ड के पास नगरपालिका भूमि, नोखा
24.	बस स्टेण्ड नागौर रोड़, नोखा
25.	अम्बेडकर भवन वार्ड न.10 देशनोक
26.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाजूवाला

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

निविदा की सामान्य शर्ते

टिप्पणी :— निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भरते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. The law relating to procurement "The Rajasthan transparency in public procurement act 2012 and The Rajasthan transparency in public procurement rules 2013, GF&AR, PWF & AR which are available on state public procurement portal http://sppp.rajasthan.gov.in Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the act and the rule before participating in the bidding process, If there is any discrepancy between the provision of this act and the rule and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail.
2. बोलीदाता से अपेक्षित किया जाता है कि वह बोली को अपलोड/जमा करवाने या हस्ताक्षर करने से पूर्व इन नियमों, शर्तो एवं प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़कर व समझ कर ही भरे/अपलोड कर यदि किसी शर्त एवं प्रावधान के संबंध में कोई संदेह हो तो बाली अपलोड करने की निर्धारित अंतिम दिनांक व समय से पूर्व कार्यालय से उसका निवारण एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है अन्यथा समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता स्वयं की होगी।
3. बोली द्वि—कवर पद्धति के अनुसार आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम भाग तकनिकी बोली का होगा जिसमें समस्त तकनिकी योग्यता, बोली दस्तावेज की प्रति पर हस्ताक्षर मय सील सहित आवश्यक मांगे गये समस्त दस्तावेज पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करने होगे तथा द्वितीय भाग वित्तिय बोली होगी जिसमें दर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी तथा तकनिकी बोली में सफल तकनीकी बोली दाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जिसके लिए अलग से सूचित कर दिया जाएगा।
4. तकनकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ पत्र पर घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प अधिनियम पर पृथक—पृथक प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानरे का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. बोली दस्तावेजो में किसी शर्तो, प्रावधान, शास्ति आदि का आपस में विरोधाभास होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
6. बोली प्रक्रिया पर बोलीदाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जाएगी तथा शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. बोली दस्तावेज को डाउनलोड करके बोली दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तो, प्रावधान, शास्ति आदि को अच्छे से पढ़कर भली—भांति समझ कर उनको स्वीकार करने के प्रमाण में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी।
9. वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) दिनांक 01.07.2017 से प्रभावि होने के कारण निविदादाताओं को नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है जिसकी प्रति निविदा प्रपत्रो के साथ ऑनलाईन E-proc पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जी.एस.टी. प्रावधानो के अनुसार संवेदको को जीएसटी से संबंधित समस्त टेक्स जमा कराना अनिवार्य होगा। तथा इसके प्रावधानो के अनुसार नियमानुसार संवेदको के बिलो में से कटोतीयां की जावेगी।
10. कार्यालय न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को उसके लिये बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम बीकानेर को होगा।
11. सप्लाई आदेश देने के बाद फर्म/निविदादाता द्वारा समय पर माल सप्लाई/कार्य नहीं किया गया तो नियामानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी अथवा रिस्क एवं कोस्ट नियम लागू होगा।
12. एफ.ओ.आर नगर निगम बीकानेर द्वारा चिन्हित बीकानेर जिले के 26 पृथक—पृथक स्थान होंगे।
13. अनुमोदित प्रदापकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा स्पेसिफिकशन साईज आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग स्पेसिफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकारण प्रात करेगा।
14. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी का नही सौपेगा या उप—भाड़े (सबलेटें) पर नही देगा।

15. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समथन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
16. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणो को अभिलिखित करेगा।
17. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संवदि के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
18. यदि प्रदायकर्त्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण हाने की निर्धारित तररीख के बाद करेगा।
19. सभी शर्तो की पालना निविदादाता द्वारा की जायेगी उनके द्वारा यदि किसी एक शर्त या अनेक शर्तो का उल्लघन किया जाता है। तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानत राशि जब्त करने के साथ–साथ निगम को कोई हानि या नुकसाान हुआ हो तो उसकी वसूली की जायेगी।
20. मांग के अनुसार कार्यालय समय पूर्व/पश्चात एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में आवश्यकता पड़ने पर कार्य करना होगा।
21. कार्य आदेश वित्तीय प्रबंधन के तहत देय होंगे नगर निगम बीकानेर इस हेतु बाध्य नही होगा।
22. किसी भी वाद–विवाद के लिये न्याय़ क्षेत्र मुख्यालय बीकानेर होगा।
23. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुशंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए।
24. विधिमान्यता :– निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
25. बिड सिक्यूरिटी राशि का समपहरणः– बिड सिक्यूरिटी उपापन नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार समपहृत कर ली जायेगी।
26. (1) करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति :–

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) ई.जी.आर.ए.एस/बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी.

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र डिफेंस सेविंग्स सर्टिपिफकेट्स, किसान् विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्यस्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता है। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(अ) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशी उपापन नियमों के नियम 75 के अनुसार ली जायेगी और प्रतिदाय किया जायेगा।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आशिंक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः–

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्सपूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

27. (1) परिसमापित नुकसानीः– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करनें के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैः–

(1)(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए ढाई प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए साढ़े सात प्रतिशत।

(ध) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओ के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय मे वृद्वि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकरी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

28. वसूलियां:– परिसमापित नुकसानी, फर्म प्रदाय, टूट–फूट, रद्व की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधरण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्व किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रयायंकर्ता सन्ताषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलबध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

29. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्ध कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

30. क्रेता अधिकरी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ध करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब कें लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्त्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

31. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की अपील के लिये प्रथम अपीलीय अधिकारी उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग बीकानेर व द्वितीय अपीलीय अधिकारी निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर होगें।

32. समान सप्लाई से पुर्व सेम्पल जाँच नगर निगम द्वारा किया जा सकता है।तथा सेम्पल की गुणवत्ता के अनुसार ही सामान सप्लाई करनी होगी। सभी सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं ब्राडेंड होनी आवश्यक हैं।

33. संवेदक को जमाशुदा अमानत राशि (प्रफोर्मेंस सेक्यूरीटी) का भुगतान सामान की गारण्टी अवधि पूर्ण होने अथवा एक वर्ष जो भी पहले हो के पश्चात किया जाएगा।

34. कुल नवीन इन्दिरा रसोईयों की संख्या 26 हैं निगम कि आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामग्री सप्लाई हेतु आदेश जारी किया जाएगा।

35. इनके अलावा शेष अन्य सभी शर्ते RTPP ACT 2012 & RULE 2013 & GF & AR में वर्णितानुसार लागू होगी। जहां अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व जीएफ एण्ड एआर की शर्तो में भिन्नता होने पर आर.टी. पी.पी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 मान्य होगें, वित विभाग द्वारा जारी संबंधि अधिसूचना तथा डी.एल. बी. जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना आदि के अधिन होगी।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

निविदा प्रपत्र निविदा में वर्णित शर्ते मेरे (फर्म/निविदादाता) द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैने हस्ताक्षर कर दिये है। एवं सभी शर्तो का पालन करने के लिए मे सहमत हूँ।

हस्ताक्षर संवेदक ....

नाम ....

पता ....

मेल आई.डी. ....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(b) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be a Conflict of Interest with one of more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for

procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/out qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ----------.

The designation and address of the Second Appellate Authority is ----------

1. **Filling an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved

:Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates theTechnical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeal**

(a) **An appeal under** para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

FORM No. 1

[*See rule 83*]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....
Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer : ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

6. **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. **Procedure for disposal of Appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(iv) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost..

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

iv. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

v. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

vi. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and conditions of contract.

(v) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(vi) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply for by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award

(In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.